

आवृत्त

प्रति. प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या:- प्राविण/परिषद/सम्बद्धता/2022/10001

संख्यांक/दिनांक: 31/10/2022

आवृत्त कायदा

प्रति. राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कमीती काउन्सिल ओफ इन्जिन्य. नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु विद्यार्थी सत्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 31/10/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व में संघलित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य जहाँ पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अन्तर्गत में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सरकार द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का नाम एवं ठेका : 1946-S R D COLLEGE OF PHARMACY			
क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आइ०सी०टी०ई०पी०सी०ए०ई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2000, गैरेन्टर विनियमवली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों को अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंग्लिश पाठ्यक्रमों हेतु ₹0-20150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कमीती पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कमीती पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-32500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही कार्यक लागू/प्रकार से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त लागू/प्रकारों में शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर भारत द्वारा निर्गत किये जाने वाले आदेशों/प्रदेशों को ध्यान में रखकर कार्यवाही किये जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की गणनागत दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/आदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये सज्ज होगी।

PRINCIPAL
S.R.D. College of Pharmacy
Gup. Vaidya Devi Bham, Unnao
Fuzzahat

यदि संस्था का ए0अ0सी0टी0ई0पी0सी0आ0ई0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्रवाई के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई याच दायर किया जाता है तथा दायर याच के संबंध में या, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपत्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपत्ति संबंधित संस्था को पालनी होगी।

- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आगोजित काउन्सिलिंग कार्यक्रम होने के पूर्व ए0अ0सी0टी0ई0पी0सी0आ0ई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर) प्रतिपत्ति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु सजाय-सजाय पर विगत नवीनतम अध्यापन नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपनी वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसी संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवृत्ति शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगुलर होकर के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध करने वाले अभिलेख, भूमि-अपन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्पश्चात् संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्थायी निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0अ0सी0टी0ई0पी0सी0आ0ई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता नहीं का अनुपालन न किये जाने अथवा नहीं का अनुरोध किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।


(एफ0अ0सी0टी0ई0पी0सी0आ0ई0)


सचिव


दिनांक: 31/10/2022

सूचक- प्रतिपत्ति/परिषद सम्बद्धता/2022/10083-10140

पत्ति-

प्रधानाचार्य/निदेशक, S R D COLLEGE OF PHARMACY


PRINCIPAL
S.R.D. College of Pharmacy
Gop. Yashwanthi Devi Dham, Unnao
Kannauj


(एफ0अ0सी0टी0ई0पी0सी0आ0ई0)

सचिव

आवज्ञिका

प्रधि. प्राविधिक शिक्षा परिषद.

उत्तर प्रदेश, भारत

संख्या- प्राविध/परिषद/सम्बद्धता/2023/12000001

तारीख- दिनांक- 12-09-2023

आज्ञापित बात:-


अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं कार्मेली काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित विभागीय स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, 24 वं संख्या के सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 21-07-2023 एवं दिनांक 03-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संचालन हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् कार्मेली काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदान अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा दिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 24 वं संख्या द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित पाठ्य सामग्री हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का पते एवं नाम । 1040-S R D COLLEGE OF PHARMACY			
क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	प्रस्तावित/प्रारंभिक दिनांक/ वार्षिक/वर्षीय द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित पाठ्य सामग्री	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित पाठ्य सामग्री
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुक्रम-3 उत्तर प्रदेश राज्य के पत्र संख्या-31/116-3099/03/022 टीआरसी-1 दिनांक 18-मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित सामग्री संस्थाओं की ओर से विषय सम्बंधी न्युनतापत्र में उल्लिखित विधि प्राविधिक संख्या 0027/0023 में तकनीकी न्युनतापत्र के अधीन संबद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्मेली काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्दिष्ट की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्मेली काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मतलब के अनुक्रम संस्थान में सामग्री संस्थाओं (एडमि. सत्र, सत्र इत्यादि) अदि उपस्थित है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद पत्र 1002 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमसूची 1002, विनियमसूची-2000, संशोधन विनियमसूची-2016 तथा सत्य-सत्य एवं निर्मित संस्थाओं का अनुपालन करेगी तथा कुल निर्यात समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक प्रस्तावना से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त प्राधान्यकों से कुल के सम्बन्ध में समय-समय पर सामग्री द्वारा निर्णय किये जाने वाले प्राधान्यकों का पालन करेगी, और सहजता कार्यावाही किया अन्य आवश्यक होगा। वीरा निर्णय समिति द्वारा पत्र 2023-24 हेतु वीरा का निर्णयनाम लिया जाता है, जो वीरा की जमानत हर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कर्षों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित सामग्री के अनुक्रम निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा निर्मित विधि/विनियम/प्रतिनिधित्व/प्रधान्यकों/निर्देशों एवं विदेश, प्राविधिक शिक्षा, 2020, अनुक्रम वीरा वीरा परिषद, 2020 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा कलंबे गये विनियम, विनियम, आदेश, निर्देशों का पालन करने के लिये कार्यरत है।


PRINCIPAL
S.R.D. College of Pharmacy
Opp. Vaishno Devi Dharm, Lucknow
Gautam

- ✓ यदि संस्था का अखिल भारतीय स्तरीय शिक्षा परिषद्/प्राथमिकी काउन्सिल और इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इस संस्था में समस्त अखिल भारतीय संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद्, संयुक्त प्रदेश प्रौद्योगिकी परिषद्, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश कानून के विषय यदि कोई कानून लागू किया जाता है तथा कानून बद के संकाय में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश प्रौद्योगिकी परिषद्, उत्तर प्रदेश सचलन-द्वारा कार्यक एवं के लिए आयोजित प्रौद्योगिकी हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व अखिल भारतीय स्तरीय शिक्षा परिषद्/प्राथमिकी काउन्सिल और इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद् कार्यलय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी हेतु समस्त-समय पर निर्गत सटीकताम अनुदान विधियों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राथमिक शिक्षा के सुपुर्ण वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, धनराशि आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशासन हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध बनाने के साथ-साथ टैकनॉलॉजी के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्याख्यान सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो में कि संस्था में परामर्शदाता/प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाने वाले हेतु निदेशालय समिति के समस्त उपकरण बनाए गये अभियंता, भूमि-संग्रह, कर्मचार, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद् को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा (समितियों और उपसमितियों, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाता) विधिवत्/कानून, 2020 के प्रावधानानुसार परिषद् की स्टाफ का अपने कर्मचारियों, भावार्थ और कर्मचार को परिषद् को प्रवेश के संचालन के लिए परिषद् के अधिन्यास में रहेगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्तरीय निदेशालय के टैकनॉलॉजी यदि संस्था में भूमि, भवन, वातावरण, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा परामर्शदाता/प्रशिक्षण/प्राथमिकी परिषद् के अंतर्गत/समय उपलब्ध नहीं करे जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता नहीं का अनुपालन न किये जाने अथवा नहीं का अनुपालन किये जाने की स्थिति में निदेशालय अनुपासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(अर्जुन कुमार मिश्र)

सचिव

पू0सं0- प्राथमिक/परिषद् सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिनिधि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, S R D COLLEGE OF PHARMACY



PRINCIPAL

S.R.D. College of Pharmacy
C/o. Vaishno Devi Dham, Mohali
Ferozshah



(अर्जुन कुमार मिश्र)

सचिव